मध्यप्रदेश शासन

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक / एफ30 / 8 / 2002 / 10–3 भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2005

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषय :– भूमिस्वामी क्षेत्र में खड़े वृक्षों के विदोहन पश्चात मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम 2000 के अंतर्गत अभिवहन पास की आवश्यकता ।

प्रदेश मे वनोपज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा प्रदेश के बाहर ले जाने या अंदर लाने को म.प्र. अभिवहन (वनोपज) नियम 2000 द्वारा विनियमित किया गया है । इसके पश्चात समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12.01.2004 तथा अधिसूचना क्रमांक एफ/30–8–2002–दस–3 द्वारा नियमों में संशोधन किये गये है ।

2/ इन संशोधनों के पश्चात जो नियम अब अंतिम रूप से लागू है, उनके विषय में स्थिति स्पष्ट नही होने के कारण इस परिपत्र द्वारा जो प्रावधान वर्तमान में लागू है, उन्हें स्पष्ट किया जाता है ।

(1) निम्न प्रजातियों की काष्ठ/ईंधन को मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम 2000 के अंतर्गत अभिवहन पास की आवश्यकता से पूर्णत: मुक्त है –

(एक)	नीलगिरी	यूकेलिप्टस प्रजातियां
(दो)	कैसूरिना	कैसूरिना इक्वेजाटिफोलिया
(तीन)	सूबबूल	ल्यूसेनिया प्रजातियां
(चार)	पापलर	पाप्युलस प्रजातियां
(पांच)	इजरायली बबूल	एकेशिया टोरटोलिस
(छः)	विलायती बबूल	प्रोसोपिस जुलीफ्लोरा
(सात)	बबूल	अकेशिया निलोटिका
(आठ)	नीम	अजाडरक्टा इंडिका
(नौ)	आम	मैजीफैरा इंडिका

(दस) आयातीत/शंकुधारी काष्ठ (चीड, कैल, देवदार और पाईन) की अन्य समस्त प्रजातियां, जो मध्यप्रदेश मे नही पाई जाती है, चाहे वे किसी अन्य नाम से ही जानी जाती हों ।

(2) निम्न प्रजातियों के काष्ठ/ईंधन के लिये अभिवहन पास इस प्रयोजन के लिये सम्पर्क रूप से गठित पंचायत स्तर की सिफारिश के अनुसार पंचायत द्वारा जारी किया जायेगा –

(एक)	सिरिस	अल्बीजिया प्रजातियां

(दो) बेर — ज़िज़ुफ़रा प्रजातियां

(तीन) पलास — ब्यूटिया मोनोस्पर्मा

(चार) जामुन — साइज़ीज़ियम क्यूमिनी

(पांच) रिमझा — अकेशिया ल्यूकोफलोइया

(छ.) खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, जबलपुर, कटनी, मंडला, डिंडोरी, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया और सीधी जिलों को छोड़कर अन्य जिलों में बांस

(3) पैरा–2 में उल्लेखित प्रजातियां को छोड़कर अन्य प्रजातियों के लिये अभिवहन पास वनमण्डल अधिकारी द्वारा प्राधिकृत वन अधिकारी के द्वारा पंचायत स्तर की समिति की सिफारिश पर विचार करने के पश्चात जारी किया जायेगा ।

(4) जिन प्रजातियों के लिये अभिवहन पास की आवश्यकता है, उसमें यदि परिवहन जिले के बाहर किया जाना है तो वनमण्डल अधिकारी के द्वारा प्राधिकृत वन अधिकारी के द्वारा अभिवहन पास जारी किया जायेगा ।

(5) अभिवहन पास जारी करने के लिये सुसंगत दस्तावेजो तथा जानकारी के साथ आवेदन प्रस्तुत करने पर आवेदन प्राप्त की तारीख से 30 दिन के भीतर अभिवहन पास जारी किया जायेगा ।

(6) ऐसी काष्ठ पर अभिवहन पास प्राप्त करने के लिये हथौड़ा चिन्ह लगाये जाने के लिये फीस निर्धारित की जा सकती है । फीस निर्धारण संबंधी आदेश वन विभाग द्वारा पृथक से जारी किये जायेंगे ।

(7) अभिवहन पास के लिये निर्धारित शुल्क जो कि समय–समय पर अधिसूचित किया जावे, देय होगा ।

3/ कृपया उपरोक्तानुसार सरल भाषा में समस्त पंचायतों को अवगत कराने का कष्ट करें व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करें ।

सही/–
(रतन पुरवार)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ.क्र. / एफ 30 / 8 / 2002 / 10–3

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई, 2005

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास की ओर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इन तथ्यों को विभिन्न स्तर की पंचायतों की जानकारी में लाने के लिये पंचायिका में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें ।
2. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, मध्यप्रदेश ।
3. समस्त वन संरक्षक, मध्यप्रदेश ।
4. समस्त वनमण्डल अधिकारी, मध्यप्रदेश ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

सही/–
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010

(सेवा क्रमांक 10.4 – **भूमिस्वामी द्वारा अपनी काष्ठ का शासन द्वारा निर्धारित दर पर शासन को विक्रय करने के संबंध में वन मंडल अधिकारी को प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्र का प्रारूप**)

प्रति,

वनमंडलाधिकारी
वन मंडल .....

विषय – स्वयं की काष्ठ का शासन द्वारा स्वीकृत दर पर शासन को विक्रय करने के संबंध में।

––0––

1. मैं श्री/ श्रीमती ..... आत्मज/ पत्नी श्री .....
   भूमिस्वामी खसरा क्रमांक ..... पटवारी हल्का नंबर ..... ग्राम .....
   जिला ..... अपने भूमिस्वामी खाते से प्राप्त काष्ठ की बिक्री शासन को, शासन द्वारा निर्धारित दर पर करना चाहता/ चाहती हूँ।
2. मैं डिपो में काष्ठ के पुनर्मापन एवं ग्रेडिंग से पूर्णतः संतुष्ट हूँ।
3. मैं वन विभाग द्वारा हस्तन व्यय तथा देय समस्त प्रकार के कर इत्यादि की वसूली करने हेतु पूर्ण सहमति व्यक्त करता/ करती हूँ।
4. मैं म.प्र. आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, 1999 में वर्णित आदिम जनजाति की श्रेणी में आता हूँ/ नहीं आता हूँ।
5. आवेदक का बैंक खाता नम्बर, – .....
   बैंक का नाम एवं आई.एफ.एस.सी. कोड नं. .....
6. इस आवेदन के साथ विभाग द्वारा निर्धारित निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं –
   (i.) डिपो में काष्ठ प्राप्त होने के पश्चात जारी डिपो आमद रसीद।
   (ii.) यदि आवेदक म.प्र. आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, 1999 में वर्णित आदिम जनजाति का है, तो काष्ठ स्वामी एवं कलेक्टर के संयुक्त बैंक खाते की पास बुक की प्रति।
   (iii.) संयुक्त भू–स्वामी खाता होने की स्थिति में समस्त भू–स्वामियों की सहमति तथा आवेदक भूमि स्वामी को अधिकृत किये जाने का वैधानिक पत्र।

स्थान –
दिनांक –
दूरभाष क्रमांक –

हस्ताक्षर आवेदक भूमिस्वामी

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010

(सेवा क्रमांक 10.4 – **भूमिस्वामी द्वारा अपनी काष्ठ का पृथक लाट लगाकर बिक्री के संबंध में वनमंडल अधिकारी को प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्र का प्रारूप**)

प्रति,

वनमंडलाधिकारी
वन मंडल .....

विषय – स्वयं की काष्ठ का पृथक लाट लगाकर बिक्री करने के संबंध में।

1. **(अ)** मैं श्री/ श्रीमती .....आत्मज/ पत्नी श्री ..... भूमिस्वामी खसरा क्रमांक..... पटवारी हल्का नंबर ..... ग्राम .....जिला ....., अपने भूमिस्वामी खाते से प्राप्त काष्ठ की बिक्री शासन के काष्ठागार में पृथक लाट लगवाकर वन विभाग से विभागीय प्रक्रिया अनुसार अवरोध मूल्य निर्धारित कर विक्रय करवाना चाहता/ चाहती हूँ।

अथवा

(ब) मेरे उक्त लाट का न्यूनतम विक्रय मूल्य प्रथम नीलाम हेतु रूपये ..... तथा द्वितीय नीलाम एवं आगामी नीलामों हेतु रूपये ..... निर्धारित किया जाये।

2. बिन्दु क्रमांक 1 (अ) और 1(ब) के संदर्भ में शासन द्वारा निर्धारित अनुबंध पत्र प्रारूप 'अ'/'ब' में अनुबंध निष्पादित करना चाहता हूँ/ चाहती हूँ।

3. मैं शासन द्वारा नीलाम हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति/प्रक्रिया में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूँगा/ करूंगी तथा नीलाम पद्धति से जुड़ी समस्त कार्यवाही मुझे मान्य रहेगी।

4. समस्त कर एवं व्यय की कटौतियों के उपरांत शेष बचने वाली राशि को मैं अपनी काष्ठ के शुद्ध मूल्य के रूप में प्राप्त करने मात्र का हकदार रहूँगा/ रहूँगी तथा इस बात की भी सहमति देता/ देती हूँ कि पृथक लाट बनाकर बिक्री करने की दशा में मुझे लाट की राशि का भुगतान क्रेता से विक्रय मूल्य की पूर्ण वसूली होने के उपरांत ही किया जावे।

5. **इस आवेदन के साथ विभाग द्वारा निर्धारित निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न है :–**

   (i.) डिपो में काष्ठ प्राप्त होने के पश्चात जारी डिपो आमद रसीद।

   (ii.) यदि आवेदक म.प्र. आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, 1999 में वर्णित आदिम जनजाति का है तो काष्ठ स्वामी एवं कलेक्टर के संयुक्त बैंक खाते की पास बुक की प्रति।

   (iii.) संयुक्त भू–स्वामी खाता होने की स्थिति में समस्त भू–स्वामियों की सहमति तथा आवेदक भूमि स्वामी को अधिकृत किये जाने हेतु लेख।

   (iv.) निर्धारित अनुबंध पत्र (अ)/(ब)।

हस्ताक्षर आवेदक भूमिस्वामी

स्थान. –
दिनांक –
दूरभाष क्रमांक –

(सेवा क्रमांक 10.4– **भूमि स्वामी द्वारा उसकी काष्ठ का पृथक लॉट बनाकर तथा वन विभाग से विभागीय प्रक्रिया द्वारा काष्ठ विक्रय की सहमति की स्थिति में भूमिस्वामी एवं वन विभाग के मध्य काष्ठ विक्रय हेतु अनुबंध पत्र)**

//अनुबंध पत्र – (अ)//

यह अनुबंध आज दिनांक ..... माह ..... वर्ष ..... को श्री/ श्रीमती ..... आत्मज/पत्नी ..... (जिसे इसके बाद "भूमिस्वामी" कहा गया है) एवं ..... वनमंडल के भार साधक अधिकारी .... वनमंडल के मध्य निम्न शर्तों के अधीन निष्पादित किया गया –

i. यह कि भूमिस्वामी द्वारा, खसरा नंबर ..... की अपनी निजी स्वामित्व की भूमि के वृक्षों का विदोहन सक्षम अधिकारी ..... द्वारा जारी स्वीकृति क्रमांक ..... दिनांक .....के अधीन किया गया है।

ii. यह कि श्री/श्रीमती ....., अपनी काष्ठ का निर्वतन, पृथक लॉट बनाकर वन विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार, विभागीय प्रक्रिया से अवरोध मूल्य निर्धारित कर विक्रय करना चाहता/ चाहती है।

iii. उपरोक्त शर्त पप के अधीन विक्रेता (भूमि स्वामी) को, विभागीय प्रक्रिया अनुसार विभाग को प्राप्त वास्तविक विक्रय मूल्य में से विक्रेता (भूमि स्वामी) द्वारा शासन को देय समस्त करों तथा प्रति घ.गी. काष्ठ पर शासन द्वारा निर्धारित हस्तन व्यय के रूप में तथा अन्य विभागीय व्यय को घटाये जाने के उपरांत शेष राशि पाने की पात्रता होगी।

iv. भूमिस्वामी द्वारा उत्पादित काष्ठ पर विक्रय नियमों के अधीन क्रेता द्वारा देय करों, (वाणिज्य कर, आयकर, वन विकास अभिकर तथा अन्य प्रकार के शासकीय करों) पर भूमिस्वामी का कोई अधिकार नहीं होगा।

v. भूमिस्वामी के काष्ठ विक्रय उपरांत क्रेता की जमा राशि में से विभाग का व्यय नियमानुसार घटाकर शेष राशि पूर्ण या अंश में (क्रेता द्वारा जमा की गई राशि की सीमा तक) भुगतान की पात्रता होगी।

vi. भूमिस्वामी की काष्ठ का विक्रय काष्ठागार में, भूमिस्वामी के जोखिम पर ही संपादित होगा। मौसम, प्राकृतिक कारण से मूल्य में गिरावट, बाजार दरों की कमी के चलते हानि का उत्तरदायित्व विभाग का नहीं होगा।

vii. भूमिस्वामी चाहे तो वह काष्ठागार पर लाई गई काष्ठ पर स्वयं का निशान (हैमर) अंकित कर सकता है या विभाग को निर्धारित फीस जमा कर विभागीय हैमर लगवा सकता है।

viii. उपरोक्त शर्तों की सहमति के आधार पर भूमिस्वामी द्वारा निष्पादित अनुबंध पत्र मे विवाद की स्थिति में संबंधित वन वृत्त के भार साधक अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों के लिए बंधनकारी होगा।

ix. संबंधित वन वृत्त के भार साधक अधिकारी के निर्णय से व्यथित व्यक्ति/ भूमिस्वामी/क्रेता, संबंधित वन मंडल/ वन वृत्त के भार साधक अधिकारी के कार्य क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले प्रथम श्रेणी व्यवहार न्यायाधीश के न्यायालय में वाद लाने के लिए स्वतंत्र होंगे।

आज दिनांक ..... को समक्ष में उपस्थित होकर सचेत मानसिक स्थिति में अनुबंध

पत्र निम्नानुसार उपस्थित गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किया गया।

अनुबंधकर्ता **शासन की ओर से**

हस्ताक्षर भूमिस्वामी

नाम .....

निवास का पूरा पता .....

.....

.....

उस ग्राम का नाम जहां प्रश्नाधीन खसरा स्थित है .....

हस्ताक्षर

वनमंडल के भार साधक अधिकारी

.....

वनमंडल .....

जिला .....

नाम गवाह 1 .....

स्थाई पता .....

.....

नाम गवाह 2 .....

स्थाई पता .....

.....

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010

(सेवा क्रमांक 10.4– **भूमि स्वामी द्वारा उसकी काष्ठ का पृथक लॉट बनाकर तथा भूमिस्वामी द्वारा अवरोध मूल्य निर्धारित करने की स्थिति में भूमिस्वामी एवं वन विभाग के मध्य काष्ठ विक्रय हेतु अनुबंध पत्र)**

//अनुबंध पत्र – (ब)//

यह अनुबंध आज दिनांक ..... माह ..... वर्ष .....को श्री/श्रीमती ..... आत्मज/पत्नी ....., (जिसे इसके बाद **"भूमिस्वामी"** कहा गया है) एवं ..... वनमंडल के भार साधक अधिकारी.....वनमंडल के मध्य निम्न शर्तो के अधीन निष्पादित किया गया –

i. यह कि भूमिस्वामी द्वारा, खसरा नंबर ..... की अपनी निजी स्वामित्व की भूमि के वृक्षों का विदोहन सक्षम अधिकारी ..... द्वारा जारी स्वीकृति क्रमांक ..... दिनांक ..... के अधीन किया गया है।

ii. यह कि श्री/श्रीमती ..... अपनी काष्ठ का पृथक लॉट बनाकर प्रथम नीलाम हेतु रूपये ..... तथा द्वितीय एवं उसके बाद के नीलाम हेतु रूपये ..... अवरोध मूल्य निर्धारित कर निर्वतन करने की सहमति दी है।

iii. उपरोक्त शर्त (५५) के अधीन भूमिस्वामी द्वारा निर्धारित मूल्य पर काष्ठ विक्रय होने की स्थिति में, विभाग द्वारा, भूमिस्वामी **द्वारा निर्धारित काष्ठ मूल्य पर प्रति घ.मी. शासन द्वारा निर्धारित** अन्य व्यय के अलावा हस्तन व्यय की राशि भी वसूली जावेगी, जोकि काष्ठ के विक्रय मूल्य से प्राप्त राशि से काट कर अवशेष राशि भूमिस्वामी को भुगतान की जावेगी। भूमिस्वामी को अधिकार होगा कि वह अपनी काष्ठ के पूर्व निर्धारित मूल्य को प्रथम नीलाम उपरांत परिवर्तित कर सके। इस हेतु भूमिस्वामी को संबंधित वनमंडल के भार साधक अधिकारी को लिखित में (परिशिष्ट–2) आवेदन करना होगा।

iv. भूमिस्वामी द्वारा उत्पादित काष्ठ पर विक्रय नियमों के अधीन क्रेता से वसूलनीय करों, (वाणिज्य कर, आयकर, वन विकास अभिकर तथा अन्य प्रकार के शासकीय कर) पर भूमिस्वामी का कोई अधिकार नहीं होगा।

v. भूमिस्वामी की काष्ठ का विक्रय करने के उपरांत क्रेता की जमा राशि में से विभाग का व्यय नियमानुसार घटाकर शेष राशि पूर्ण या अंश में (क्रेता द्वारा जमा की गई राशि की सीमा तक) भुगतान की पात्रता होगी।

vi. भूमिस्वामी को हक होगा कि वह उसके द्वारा उत्पादित काष्ठ को काष्ठागार में लाने के उपरांत, विभागीय नियमों के अधीन/या अपने प्रतिनिधि के समक्ष में मापन क्रिया पूर्ण कराने के उपरांत, काष्ठागार में काष्ठ विक्रय की शर्त (५५) के अधीन माप वार अलग–अलग या इकट्ठा लॉट बना सकेगा।

vii. शर्त ५५ के अधीन प्रक्रिया में आने वाला व्यय, भूमिस्वामी स्वयं वहन करेगा या विभाग द्वारा संपन्न कराये जाने पर भूमि स्वामी की काष्ठ के विक्रय मूल्य से वसूल करने का विकल्प विभाग के पास होगा।

viii. भूमिस्वामी की काष्ठ का विक्रय काष्ठागार में, भूमिस्वामी के जोखिम पर ही संपादित होगा। मौसम, प्राकृतिक कारण से मूल्य में गिरावट, बाजार दरों की कमी के चलते हानि का उत्तरदायित्व विभाग का नहीं होगा।

ix. भूमिस्वामी चाहे तो, वह काष्ठागार पर लाई गई काष्ठ पर स्वयं का निशान (हैमर) अंकि कर सकता है या विभाग को निर्धारित फीस जमा कर विभागीय हैमर लगवा सकता है।

x. उपरोक्त शर्तों की सहमति के आधार पर भूमिस्वामी द्वारा निष्पादित अनुबंध पत्र में विवाद की स्थिति में संबंधित वन वृत्त के भार साधक अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों के लिये बंधनकारी होगा।

xi. संबंधित वन वृत्त के भार साधक अधिकारी के निर्णय से व्यथित व्यक्ति/ भूमिस्वामी/क्रेता, संबंधित वनमंडल/ वन वृत्त के भार साधक अधिकारी के कार्य क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले प्रथम श्रेणी व्यवहार न्यायाधीश के न्यायालय में वाद लाने के लिए स्वतंत्र होंगे।

आज दिनांक ..... को समक्ष में उपस्थित होकर सचेत मानसिक स्थिति में अनुबंध निम्नानुसार उपस्थित गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किया गया।

अनुबंधकर्ता

हस्ताक्षर भूमिस्वामी

नाम .....

निवास का पूरा पता .....

.....

.....

उस ग्राम का नाम जहां प्रश्नाधीन खसरा स्थित है .....

शासन की ओर से

हस्ताक्षर

वनमंडल के भार साधक अधिकारी .....

वनमंडल .....

जिला .....

गवाह 1 .....

स्थाई पता .....

.....

गवाह 2 .....

स्थाई पता .....

.....